संख्या-05/2022/।/151129/38-4-2022

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2022**

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-83 में केन्द्रांश के सापेक्ष मनरेगा से पुनर्विनियोग के माध्यम से मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-16/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0(83)/2021-22, दिनांक 14.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत एस0सी0पी0 मद में वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों हेतु भारत सरकार से प्राप्त एवं शासनादेश संख्या-04/2022/।/144817/38-4-2022, दिनांक-04.03.2022 द्वारा निर्गत केन्द्रांश के के द्वितीय किश्त के द्वितीय अंश (Release of Tranche-।। of 2nd Installment) की धनराशि रूपये 45382.41 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रूपये 30254.94 लाख में से मनरेगा योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में राज्यांश मद में उपलब्ध एवं बचत की धनराशि रूपये 13631.146 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है एवं अवशेष राज्यांश की धनराशि कियी अन्य योजना की बचतों से निर्गत करने की अपेक्षा की गयी है।

2- अत: आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राज्यांश मद में धनराशि उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत भारत सरकार से प्राप्त एवं उपर्युक्त उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04.03.2022 द्वारा निर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के द्वितीय द्वितीय अंश (Release of Tranche-।। of 2nd Installment) की उपरोक्त धनराशि के समतुल्य मैचिंग राज्यांश राज्यांश की धनराशि रूपये 30254.94 लाख में से **रूपये 13631.146 लाख (रूपये एक अरब छत्तीस करोड़ इकतीस लाख चौदह हजार छ: सौ मात्र)** संलग्न बी0एम0-09 प्रपत्र संख्या-आर0ई0-644-वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1-दस-2021, दिनांक-28 मार्च, 2022 के अनुसार मनरेगा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0102-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.+रा.)-42-अन्य व्यय" में हो रही बचत की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रश्नगत बचत के मद में पुन: धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गयी स्वीकृति की धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा तथा धनराशि के आहरण/व्यय के संबंध में अन्य संगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य, विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(7) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रुप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(9) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(10) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(11) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति को वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

(13) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आर0ई0 संख्या-644, दिनांक-28 मार्च, 2022 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव।

संख्या-05/2022/।/151129, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) निदेशक (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(6) अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्यक कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) बजट प्रकोष्ठ अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/वित्त संसाधन(के0स0) अनुभाग।
(12) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(13) श्री लाल धीरेन्द्र राव, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड बुक।

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम : 83-समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

वित्तीय वर्ष 2021.22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0102-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.+रा.)-42-अन्य व्यय"	142613.146	13631.146	13631.146	13631.146	128982.00
योग	142613.146	13631.146	13631.146	13631.146	128982.00
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य"	449362.854	462994.000	13631.146	13631.146	462994.00
योग	449362.854	462994.000	13631.146	13631.146	462994.00

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण-वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में राज्यांश मद में धनराशि रूपये 13631.146 लाख की आवश्यकता नहीं होने के कारण संभावित बचत है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2021-22 में आवासों के निर्माण हेतु प्राप्त एवं निर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 47050.89 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश हेतु धनराशि रू0 13631.146 लाख की अतिरिक्त बजट की अपरिहार्य आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-644-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.दस/2022, दिनांक-28 मार्च, 2022

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज।

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

फूल चन्द यादव,
अनु सचिव,
वित्त विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।